न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या— 317/17 तारीख रज्जू—08/09/17

1 नुरबानो पुत्री दुल्या पत्नि शंकूर खां जाति मुसलमान (लुहार) निवासी गम्भीरा तहसील सवाई माधोपुर हालवासी शेषा तहसील मलारना डूगंर जिला सवाई माधोपुर। —अपीलान्ट

बनाम

1. रज्जाक पुत्र दुल्या जाति मुसलमान (लुहार) निवासी ग्राम गम्भीरा हाल ढकनिया जिला कोटा।
2. आजाद पुत्र दुल्या जाति मुसलमान (लुहार) निवासी ग्राम गम्भीरा हाल ढकनिया जिला कोटा।
3. रमजानी पुत्री दुल्या जाति मुसलमान निवासी कुश्तला तह0 सवाई माधोपुर।
4. जुम्मी पुत्री दुल्या पत्नि अल्लानुर जाति मुसलमान निवासी चौथ का बरवाड़ा।
5. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स 31.7.19

निर्णय दिनांक—

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम गम्भीरा के नामान्तकरण संख्या 218 में पारित निर्णय दिनांक 10/10/01 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा तहसीलदार सवाई माधोपुर ने ग्राम गम्भीरा में अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट के पिता दुल्या के फौत हो जाने पर दुल्या की खातेदारी भूमि का विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया है, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 218 में पारित निर्णय दिनांक 10/10/01 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोंडेन्टस् जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अधिनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि दुल्या पुत्र घांसी के 2 बेटे एवं 3 बेटियां है। दुल्या के फौत हो जाने पर समस्त पुत्र व पुत्रीयों को दुल्या की खातेदारी भूमि में से समान हक प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन अदालत मातहत द्वारा उक्त वाद आराजीयात का विरासत नामान्तकरण 2 पुत्र व 2 पुत्रीयों के नाम ही तस्दीक किया है। एक पुत्री अपीलान्ट के नाम विरासत नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया गया है। जो न्यायोचित नहीं है। हमारे द्वारा संरपच ग्राम पंचायत गम्भीरा द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र भी संलग्न किया हुआ है। अपीलन्ट व रेस्पों0 दोनों संयुक्त रूप से वर्तमान में भी उक्त खातेदारी भूमि पर काबिज है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 218 निर्णय दिनांक 10/10/01 वाके ग्राम गम्भीरा निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील रेस्पोडेन्टस् ने दौराने बहस निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अदालत मातहत द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान नियमानुसार उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है, साथ ही वकील रेस्पोडेन्टस् ने उक्त नामान्तकरण 218 निर्णय दिनांक 10/10/01 वाके ग्राम गम्भीरा यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि दुल्या पुत्र घांसी के फौत हो जाने पर दुल्या की खातेदारी भूमि का नामान्तकरण उसके 2 पुत्र व 2 पुत्रीयों के नाम खोला गया है। जबकि संरपच ग्राम पंचायत गम्भीरा द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार दुल्या के 2 पुत्र व 3 पुत्रीयॉ है। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी जो दुल्या की पुत्री है तथा रेस्पोडेन्ट की बहन है। उसके नाम नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया गया है। जो नियम विपरित व न्यायोचित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः मेरे अभिमत मैं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा नामान्तकरण संख्या 218 निर्णय दिनांक 10/10/01 वाके ग्राम गम्भीरा निरस्त किया जाता है, साथ ही तहसीलदार सवाई माधोपुर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षों को सुन जाकर पुनः नियमानुसार नये सिरे से नामान्तकरण तस्दीक करे।

निर्णय आज दिनांक 31.7.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर